



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 4708

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 44847 सन् 2025**

जितेंद्र @ विजेंद्र

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

|                         |    |                               |
|-------------------------|----|-------------------------------|
| याचीकाकर्ता के अधिवक्ता | :- | देवेंद्र सिंह, विमल कुमार पाल |
| प्रत्यर्थी के अधिवक्ता  | :- | जी.ए.                         |

**न्यायालय संख्या - 68**

**माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव**

श्री देवेंद्र सिंह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री यागवल्क पांडेय, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक जितेंद्र @ विजेंद्र की ओर से मामला अपराध संख्या 396 of 2025, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 109(1), 121(1), 132, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 तथा आपराधिक संशोधन अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत, थाना महुआखेड़ा, जिला अलीगढ़ में अधोस्तरीय न्यायालय के समक्ष विचारण की लंबितता के दौरान जमानत पर विस्तार हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामला अपराध संख्या में झूठा फँसाया गया है और वह दिनांक 1.11.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त रवि को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 19.12.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 43041 of 2025 में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और जमानत पर रिहा होने की दशा में न्याय के मार्ग से फरार होने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दंड की गंभीरता, समर्थक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षी के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथमदृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **जितेंद्र @ विजेंद्र**, जो उपर्युक्त मामला अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर उसी राशि की व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें धमकी नहीं देगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधोस्तरीय न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

8 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश